यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा),वित्त अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)/वित्त अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) रुद्रप्रयाग के अवधि 04/2016 से 11/2018 तक के लेखा-अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.12.2018 से 13.12.2018 तक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अपर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इस कार्यालय की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. **(i)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा)/वित्त अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा),रुद्रप्रयाग का भौगलिक अधिकार क्षेत्र जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत संचालित राजकीय प्रारम्भिक / उच्चतर प्रारम्भिक विद्यालयों में जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा) के दायितों को पूर्ण करना एवं अशासकीय प्रारम्भिक / उच्चतर प्रारम्भिक विद्यालयों को वेतन एवं भत्तों का भुगतान तथा जनपद रुद्रप्रयाग मे शिक्षा संबंधी कार्यों का समन्वय एवं क्रियाव्यन किया जाता है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का जनपद रुद्रप्रयाग का समस्त क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	-	-	-		-	-
2016-17	-	-	49.55*	43.05*	44.70	44.70	-	-
2017-18	-	-	59.86*+58.96**	59.35*+58.96**	126.20	126.20	-	-
2018-19 (माह 11/2018)	-	-	60.04*+49.23**	52.55*+45.12**	112.00	112.00	-	-

**** अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के वेतन एवं अन्य भत्ते**

*** कार्यालय DEO (बेसिक) का स्थापना मद**

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	शून्य					
2016-17						
2017-18						
2018-19 (माह 11/2018)						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग मे संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालयों को वेतन एवं भत्तों अनुदान के रुप में तथा कार्यालय जि.शि.अ (प्रा. शि.) के लिए किया जाता है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा

↓

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

↓

अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.)/वित्त अधियाकरी(प्रा. शि.) रुद्रप्रयाग। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/वित्त अधियाकरी(प्रा. शि.) रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2017 एवं 11/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1 : निर्माण कार्यों पर रूपय 39.92 लाख का अनावश्यक व्यय तथा निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहना।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा°शि°) रुद्रप्रयाग के जिला योजना के विद्यालय भवनो के निर्माण कार्यों की वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 मे निर्माण की स्थिति इस प्रकार है।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रं. सं.	वर्ष	विद्यालय का नाम	स्वीकृत धनराशि	अतरिक्त लागत	अवमुक्त धनराशि	धनराशि अवमुक्त तिथि	प्रगति
1.	2016-17	रा0प्रा0वि0 तोलब	12.50	6.41	12.5	27-09-17	अपूर्ण
					6.41	14-08-18	
2.	2016-17	रा0प्रा0वि0लमगौण्डी	15.00	5.58	15.00	27-09-17	
					5.58	15-09-18	
3.	2016-17	रा0प्रा0वि0हिलोरीधार	15.00	6.32	15.00	27-09-17	
					6.32	14-08-18	
4.	2016-17	रा0उ0प्रा0वि0बैरागणा	15.00	14.39	15.00	27-09-17	
					14.39	14-08-18	
5.	2017-18	रा0प्रा0वि0 लमेरी	14.50	4.49	14.50	27-09-17	
					4.49	15-09-18	
6.	2017-18	रा0प्रा0वि0 कौन्था	14.50	2.73	14.50	08-02-18	
					2.73	15-09-18	
			86.50	**39.92**	**126.42**		

उपरोक्त सभी कार्य कार्यदायी संस्था-ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD) के द्वारा करवाए जा रहे थे।इस प्रकार वर्ष 2016-17 के चार कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था को ₹ 57.50 लाख कि धनराशि दिनांक 27-09-17 तक तथा वर्ष 2017-18 के दो कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था को ₹ 29.00 लाख कि धनराशि दिनांक 27-09-17 एवं 08-02-18 तक उपलब्ध करा दी गयी थी तथा कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य सामान्यतः 06 माह मे पूर्ण किये जाने चाहिए थे तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध करने संबंधी पत्र में यह निर्देश दिये जाते है कि निर्माण कार्यों को मानकानुसार यथाशीघ्र प्रारम्भ/पूर्ण करवाना सुनिश्चित करे। लेकिन उपरोक्त सभी निर्माण कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक अपूर्ण थे तथा इन सभी कार्यों के लिए माह 08/2018 एवं 09/2018 मे ₹. 39.92 लाख की अतिरिक्त धनराशि भी कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी थी।इससे स्पष्ट है कि कार्यालय द्वारा कार्यों को समय से पूर्ण करने मे उदासीनता के कारण जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के निर्माण कार्यों पर ₹ 39.92 लाख का अनावश्यक व्यय आया अपितु सभी निर्माण कार्य भी अपूर्ण थे।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हेए उत्तर में कहा कि उपरोक्त कार्यों के पूर्ण होने की निर्धारित-तिथि के संबंध में कार्यदायी संस्था से समयावधि अभिलेख प्राप्त कर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिये जायेगा उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्यालय की निर्माण कार्यों में उदासीनता के

कारण ना केवल शासन पर ₹. 39.92 लाख का अनावश्यक व्यय का बोझ आया अपितु सभी निर्माण कार्य भी अपूर्ण थे।

अत: निर्माण कार्यों पर रूपय 39.92 लाख का अनावश्यक व्यय तथा निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर- 2: प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों मे क्रमशः 258 (21.90%) एवं 123 (20.70%) पद रिक्त रहना

कार्यालय के अवधि माह 04/2016 से 11/2018 तक के जनपद रुद्रप्रयाग के अंतर्गत संचालित राजकीय प्राथमिक / उच्चतर प्राथमिक विद्यालय मे सहायक अध्यापक / प्रधानाध्यापक / शिक्षा मित्र मे स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों की जांच मे पाया की कुल स्वीकृत पदों के सापेक्ष निम्न प्रकार से रिक्त थे-

क्रम संख्या	विद्यालय	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	राजकीय प्राथमिक विद्यालय	सहायक अध्यापक	825	619	206(25%)
		प्रधानाध्यापक	322	270	52(16.14%)
		शिक्षा मित्र	31	31	0(-)
		योग	**1178**	**902**	**258(21.90%)**
2	राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय	सहायक अध्यापक	502	418	84(16.73%)
		प्रधानाध्यापक	92	53	39(42.39)
		शिक्षा मित्र	0	0	0(-)
		योग	**594**	**471**	**123(20.70%)**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिक्षा जैसे महात्वपूर्ण सामाजिक दायित्व के लिए विद्यालय मे आवश्यक शिक्षकों कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों मे क्रमश 258 (21.90%) एवं 123 (20.70%) पद रिक्त हैं यह सभी पद विगत एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर में कहा कि उपलब्ध अध्यापकों से ही विद्यालयों का शैक्षिक कार्यों को पूर्ण कराया जा रहा है इकाई का उत्तर अमान्य है क्योंकि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व में प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों मे क्रमश 258 (21.90%) एवं 123 (20.70%) पद विगत एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त हैं।

अत: प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों मे क्रमश 258 (21.90%) एवं 123 (20.70%) पद रिक्त रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-3: कुल धनराशि ₹ 4,96,69,263/- व्यय संबन्धी वॉउचर लेखापरीक्षा को जांच हेतु उपलब्ध नही करने का प्रकरण

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक) रुद्रप्रयाग के अवधि 04/2016 से 11/2018 तक लेखापरीक्षा के दौरान जांच हेतु चयनित माह 11/2018 तथा माह 11/2017 से संबन्धित DDO reconciliation Statements मे दर्शाये गए अशासकिए विद्यालयों पर किए गए व्यय संबन्धी Vouchers तथा रोकड़ बही जिनकी कुल धनराशि ₹ 41290263/- है (माह 11/2017 के ₹ 20917173/- तथा माह 11/2018 के ₹ 20373090/-) कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को जांच के लिए प्रस्तुत नही किया गया तथा जिला योजना के अंतर्गत माह 11/2017 मे सात बिलों की कुल ₹ 8379000/- (संलग्नक 'A') की धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को किया गया लेकिन इन सभी भुगतान की उपभोग प्रमाण-पत्र कार्यालय द्वारा लेखापरीक्षा को जांच हेतु उपलब्ध नही कराई गयी।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हेए उत्तर में कहा कि संबंधी वॉउचर तत्काल उपलब्ध नही होने के कारण आगामी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दिये जायेंगा।

अत: कुल धनराशि ₹ 4,96,69,263/- व्यय संबन्धी वॉउचर लेखापरीक्षा को जांच हेतु उपलब्ध नही करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

List of Vouchers (Annexura'A')

Sl.No	Bill Number	Vouchers No.	Date	Gross Amount(in Rs)
1	20	B25150028	10/11/2017	1080000/-
2	23	B25150029	10/11/2017	1500000/-
3	24	B25250030	10/11/2017	1500000/-
4	25	B25150031	10/11/2017	349000/-
5	15	B25150039	10/11/2017	1250000/-
6	17	B25150040	10/11/2017	1500000/-
7	18	B25250041	10/11/2017	1200000/-
			Total Amount	8379000/-

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-4: पूर्ण धनराशि रूपय 25.00 लाख उपलब्ध करने के एवं निर्माण कार्यों पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद भी निर्माण कार्यों अपूर्ण रहना ।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(बेसिक), रुद्रप्रयाग के अवधि 04/2016 से 11/2018 तक के जिला योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में स्वीकृत विद्यालयों के पुनर्निर्माण संबन्धित अभिलेखो के जांच में पाया गया कि विद्यालयों में पुनर्निर्माण कार्य विद्यालय प्रबन्ध समिति (SMC) के माध्यम से कराये जा रहे धे इन सभी कार्यों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि(लाख में) (दिनांक)	प्रगति
1.	रा0प्रा0वि0 महड़	9.00	9.00 (22/03/17)	अपूर्ण
2.	रा0उ0प्रा0वि0 सिंलगांव	12.00	12.00 (22/09/17)	अपूर्ण
3.	रा0प्रा0वि0 टेण्डवाल	4.00	4.00 (22/03/17)	अपूर्ण
			25.00	

उपरोक्त सभी कार्य को विद्यालय प्रबन्ध समिति(SMC) को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने की शर्तों के अंतर्गत कार्यादेश दिया गया-

1. निर्माण कार्य के लिए विद्यालय प्रबन्धन समिति पूर्णतः अधिकृत एवं उत्तरदायी है
2. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रारूप पर Rs 100 के स्टम्प पर अध्यक्ष/सचिव विद्यालय प्रबन्धन समिति(प्रथम पक्ष) का जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, रुद्रप्रयाग(दितीय पक्ष) के समक्ष अनुबंध किया जाएगा
3. ब्रहद मरम्मत हेतु आंगणनानुसार से विद्यालयवार धनराशि स्वीकृत है जिसके अंतर्गत ही कार्य पूर्ण करना होंगा तथा उक्त स्वीकृत धनराशि से अधिक भुगतान किसी भी स्थिति में देय नही होगा
4. निर्माण कार्य के समस्त अभिलेखों/पत्रावाली का रख-रखाव सचिव विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा अध्यक्ष विद्यालय प्रबन्धन समिति की देख-रेख में किया जाएगा।
5. विद्यालय पुनर्निर्माण का निर्माण कार्य अधिकतम 06 माह के अंतर्गत पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हेए उत्तर में कहा कि उपरोक्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेंगी तथा रा0उ0प्रा0वि0 सिंलगांव में निर्माण कार्य को जमीन संबंधी विवाद हल होने पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा । उत्तर मान्य नही है क्योंकि कार्यालय की निर्माण कार्यों के प्रति उदासीनता के कारण उपरोक्त तीनों निर्माण कार्यों के लिए विद्यालय प्रबन्ध समिति(SMC) को पूर्ण धनराशि 25.00 लाख एक वर्ष से अधिक समय पूर्व उपलब्ध करने के उपरान्त भी निर्माण कार्य अपूर्ण थे तथा कार्यालय द्वारा इन सभी कार्यों के अनुबंध पत्र की छायाप्रति भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराई गयी।

अत: पूर्ण धनराशि रूपय 25.00 लाख उपलब्ध करने के बाद भी निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
यह इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा)/ वित्त अधियाकरी(प्रारम्भिक शिक्षा) रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. स.	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा विधाशंकर चतुर्वेदी	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शिक्षा)	21/09/2015 से वर्तमान तक

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया

क्र. स.	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री गिरीशचन्द्र	वित्त अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)	25/04/2016 से 09/09/2018
2	श्रीमती निकिता गिरि	वित्त अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)	10/09/2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(प्रारम्भिक शिक्षा)/वित्त अधियाकरी(प्रारम्भिक शिक्षा), रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.